छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांकः GENCOR/3064/2025-GAD-2 नवा रायपुर, दिनांक 25-05-2026

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय:- अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को दिनांक 01 जनवरी, 2026 से पुनरीक्षित दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान।

-----0-----

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/1(i)/2026-E.II (B) दिनांक 22 अप्रैल, 2026 (प्रतिलिपि संलग्र) द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2026 से (58% से 60%) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है। अखिल भारतीय सेवायें (मंहगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम-3 के तहत् ये पुनरीक्षित दरें अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को लागू हो गई है। अतः राज्य शासन, **राज्य में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को दिनांक 01 जनवरी, 2026 से निम्नलिखित उपबन्धों पर पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ता भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करता है:-**

(1) पुनरीक्षित दरों से महंगाई भत्ते का नियमन भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के ज्ञापन क्रमांक 1/1(i)/2026-E.II (B) दिनांक 22 अप्रैल, 2026 में बताई गई रीति से होगा।

(2) इन आदेशों के तहत् देय महंगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01/01/2026 से नकद दिया जावेगा।

(3) महंगाई भत्ते की गणना वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन के आधार पर की जावेगी। इसमें विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा।

(4) महंगाई भत्ते का कोई भाग मूलभूत नियम - 9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जावेगा।

(5) इस आदेश के विपरीत अधिक भुगतान पाये जाने की दशा में अधिक भुगतान की राशि संबंधित भुगतान पाने वाले अधिकारी से वसूली योग्य होगी।

......2

(6) एरियर्स के देयक उसी कार्यालय द्वारा बनाये जायेंगे, जहां से उक्त अवधि के लिए संबंधित अधिकारी का वेतन आहरण किया गया हो।

2/ इस आदेश के प्रकाश में प्रत्येक अधिकारी के पक्ष में व्यक्तिगत रूप से प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जायेगा। तद्नुसार निर्देश दिये जाते हैं कि वेतन पर्चियों को इस आदेश के अनुरूप संशोधित मानकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को दिनांक **01 जनवरी, 2026** से पुनरीक्षित दर से महंगाई भत्ते का भुगतान, पूर्व में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए, उपर्युक्त कंडिकाओं में बताये अनुसार किया जाए।
संलग्नक:- यथोपरि।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
ANVESH GHRITLAHRE
Date: 25-05-2026
12:31:11

(अन्वेष घृतलहरे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिलिपि:-
(1) महालेखाकार (लेखा एवं हक.) छत्तीसगढ़, रायपुर।
(2) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर/छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
(3) महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर।
(4) सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
(5) सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन सचिवालय, रायपुर।
(6) रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
(7) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर।
(8) सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर।
(9) आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
(10) सचिव, लोक सेवा आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग/छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर।
(11) समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।

.....3

(12) संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं/तकनीकी शिक्षा/नगरीय प्रशासन/स्थानीय निधि संपरीक्षा /लोक शिक्षण छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
(13) प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल/राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य बीज विकास निगम/छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड, रायपुर।
(14) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर/नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
(15) आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, पर्यावास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
(16) आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर/भिलाई/बिलासपुर/कोरबा।
(17) मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, (लेखा शाखा), मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
(18) समस्त जिला कोषालय/इन्द्रावती कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़।
(19) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट http: www.cg.nic.in/gad में अपलोड करने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सही/-
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग